भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2376
दिनांक 13.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पंजाब में जल गुणवत्ता

2376. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पंजाब की 12 प्रतिशत आबादी पानी की गुणवत्ता से असंतुष्ट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;
(ग) क्या सरकार ने पंजाब में जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के कारणों की कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या रहे है; और
(घ) क्या सरकार के पास जनता के असंतोष को दूर करने के लिए पंजाब में जल की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कोई विशिष्ट योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ): भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है, ताकि ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को अपनाया जाता है। पेयजल राज्य का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

मिशन के तहत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन की कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, मानक सांख्यिकीय नमूनाकरण के आधार पर एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से मूल्यांकन करता है। नल जल कनेक्शन की कार्यक्षमता का मूल्यांकन तीन मापदंडों पर किया जाता है, पर्याप्त मात्रा, निर्धारित गुणवत्ता और नियमितता। फरवरी, 2022 से अप्रैल, 2022 तक किए गए कार्यक्षमता मूल्यांकन के दौरान, यह पाया गया कि 86% परिवारों में नल कनेक्शन काम कर रहे थे। इनमें से 85% को पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो रहा था, 80% परिवारों को उनकी पाइपगत जल आपूर्ति योजना के लिए जलापूर्ति की अनुसूची के अनुसार नियमित रूप से जल प्राप्त हो रहा था और 87% परिवारों को निर्धारित जल गुणवत्ता मानकों के अनुसार जल प्राप्त हो रहा था। पंजाब में, यह पाया गया कि 95% परिवारों में नल कनेक्शन काम कर रहे थे। इनमें से 96% को पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो रहा था, 82% को उनकी पाइपगत जलापूर्ति योजना के लिए जलापूर्ति की अनुसूची के अनुसार नियमित रूप से जल प्राप्त हो रहा था और 94% परिवारों को निर्धारित जल गुणवत्ता मानकों के अनुसार जल प्राप्त हो रहा था। जेजेएम मानकों के अनुसार जल सेवा प्रदायगी को बनाए रखने के लिए उपचारी उपाय करने हेतु उक्त कार्यक्षमता मूल्यांकन का विवरण और डेटा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भी साझा किया गया है।

कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता अनुवीक्षण एवं निगरानी (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) संबंधी गतिविधियों के लिए जेजेएम के अंतर्गत निधियों के अपने वार्षिक आबंटन के 2% तक का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपस्करों, उपकरणों, रसायनों, कांच के बने सामान, उपभोज्य वस्तुओं की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखना, फील्ड परीक्षण किटों (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी करना, जागरूकता सृजन, जल गुणवत्ता संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि भी शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए जल नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, अनुवीक्षण और निगरानी के लिए सक्षम बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार ब्यौरा जेजेएम डैशबोर्ड पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report

जल गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे प्रत्येक गांव में 5 व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षित करें ताकि वे ग्राम स्तर पर फील्ड टेस्टिंग किट्स (एफटीके) का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण कर सकें तथा डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल पर इसकी सूचना दे सकें। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर दी गई अद्यतन सूचना के अनुसार, एफटीके का उपयोग करके जल परीक्षण के लिए 24.81 लाख से अधिक महिलाओं (पंजाब में 63,422 सहित) को प्रशिक्षित किया गया है।

भारत सरकार जल जीवन मिशन के तहत जन संतुष्टि और नल जल कनेक्शनों की पूर्ण कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है ताकि पंजाब सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके और समय-समय पर समीक्षा बैठक के माध्यम से जल गुणवत्ता संबंधी चिंताओं का आकलन करने और समाधानों की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न क्षेत्र दौरे आयोजित किए जा सकें और जहां आवश्यक हो, उन्नत जल उपचार प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जा सके।

जेजेएम डैशबोर्ड पर एक 'सिटीजन कॉर्नर' भी विकसित किया गया था। इस कॉर्नर में पंजाब सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पीडब्ल्यूएस के माध्यम से जल आपूर्ति की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता का प्रसार करने और लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए सार्वजनिक रूप से जल गुणवत्ता परीक्षण के परिणामों का प्रदर्शन शामिल था।

*****